

मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 3/7/2012/19/यो 6877
प्रति,

मोपाल दिनांक 24-11-12

1. प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग भोपाल
2. समस्त मुख्य अभियंता
3. समस्त अधीक्षण यंत्री
4. समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग

विषय:- बुक ऑफ फायनेन्शियल पॉवर्स 1995 के भाग-2 में वित्त विभाग के 23 मई 2008 के संशोधन अनुसार लोक निर्माण विभाग में वित्तीय अधिकारों का उपयोग पर कार्य विभाग के अधिकारियों को सौंपे गये वित्तीय अधिकार ।

—0—

वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 23 मई 2008 द्वारा बुक ऑफ फायनेन्शियल पॉवर्स 1995 के भाग-2 में निर्माण विभाग के अधिकारियों को सरल क्रमांक 32 ए पर सौंपे गये वित्तीय अधिकार प्रतिशत दर पर आधारित एवं आइटम रेट पर आधारित निविदाओं पर एक जैसे लागू माने जावेंगे । साथ ही साथ स्पष्ट किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 25/6/12/19/यो/4650 दिनांक 13.08.2012 द्वारा जारी निर्देशों के पालन में नॉन एस.ओ.आर. आइटम समेत तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों की पी.ए.सी. में नॉन एस.ओ.आर.आइटम भी सम्मिलित कर आमंत्रित की गई प्रतिशत दर एवं आइटम दर आधारित निविदाओं पर भी एतद द्वारा जारी उक्त निर्देश समान रूप से लागू होंगे ।

सहपत्र:- 0

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(आर0के0 मेहरा)

अपर सचिव

म0प्र0शासन लोक निर्माण विभाग

भोपाल दिनांक

* पृ.क. एफ 3/7/2012/19/यो/

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार निर्माण एवं प्राप्ति 53 अरेरा हिल्स होशंगाबाद रोड भोपाल ।
2. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

* सहपत्र:-0

अपर सचिव

म0प्र0शासन लोक निर्माण विभाग

SHC